न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 177 / 2015

1 सुल्तान सिंह फौत
1/1 ज्याना देवी पत्नी स्व. सुल्तान सिंह
1/2 सुरजभान पुत्र स्व. सुल्तान सिंह
1/3 रामकिशन पुत्र स्व. सुल्तान सिंह
1/4 इमरता पुत्र स्व. सुल्तान सिंह
2 सुखदेवा राम पुत्र श्री जीताराम
3 ओमप्रकाश पुत्र लादूराम
4 हरिसिंह पुत्र लादूराम
5 रामनिवास पुत्र लादूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम नबीपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 श्रीमती श्रवणी पत्नी करणा राम जाति गुर्जर
2 शारदा पत्नी रामोतार जाति गुर्जर
3 कमला पुत्री करणाराम जाति गुर्जर
4 मन्नी पत्नी रामलाल पुत्री करणाराम जाति गुर्जर
5 छोटी पत्नी रूघवीर पुत्री करणाराम जाति गुर्जर
6 चुकी पत्नी रामेश्वर पुत्री करणाराम जाति गुर्जर
7 सुमित्रा पत्नी धुड़ला पुत्री करणाराम जाति गुर्जर
8 मोहनलाल पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट
9 गोपाल पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट
10 बजरंग लाल पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट
11 हरलाल पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट
निवासीग्राम ढाका वाली तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
12 केदारमल फौत
12/1 केशर देवी पत्नी स्व. केदारमल जाति जांगिड़

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12/2 जयप्रकाश पुत्र स्व. केदारमल जाति जांगिड़
12/3 चन्दा पुत्री स्व. केदारमल जाति जांगिड़
12/4 ममता पुत्री स्व. केदारमल जाति जांगिड़
12/5 अनिता पुत्री स्व. केदारमल जाति जांगिड़
12/6 सुनिता पुत्री स्व. केदारमल जाति जांगिड़
13 हणमान राम पुत्र श्री सुखाराम जाति जाट
समस्त निवासीगण ग्राम नबीपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
14 शाखा प्रबन्धक शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
15 हल्का पटवार पटवार हल्का बागड़ोदा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
16 तहसीलदार एवं उप पंजीयक फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
17 जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांकित 10.07.2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर मुकदमा संख्या
59/2013 बउनवानी सुल्तान सिंह आदि बनाम श्रवणी
आदि दावा बाबत उद्घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन

उपस्थिति :

1. श्री सुखदेव सिंह महला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भींवाराम मील, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 25/8/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 59/2013 में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद उद्घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 22 वाके ग्राम ढाकाली का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित खसरा नम्बर 22 रकबा 5.29 हैक्टेयर जिसमें से रकबा 2.27 हैक्टेयर जो कि वादीगण के कब्जे काश्त एवं हक अधिकार का रहा है जिस पर वादीगण अपीलान्ट वर्तमान में भी बदस्तुर काबिज करते हुए काश्त करते चले आये है एवं अपनी आवासीय ढाणी भी स्थापित कर रखी है जिनको बेदखली बाबत प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में अन्य वाद संख्या 3/21 जो 1981 में करणाराम बनाम लादूराम वगै. वादी संख्या 1 व 2 तथा वादीगण संख्या 3 ता 5 के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जो वादीगण/अपीलांट को उक्त विवादित खसरा नम्बर भूमि से बेदखली बाबत किया जो भूमि खसरा नम्बर 22 के रकबा 2.27 है. पर वादीगण का कब्जा काश्त मानकर उनको बेदखली बाबत किया था जो वाद भी खारिज हुआ था। जिससे भी स्पष्ट प्रमाणित था कि वादीगण का विवादित खसरा नम्बर 22 के रकबा 2.27 है. भूमि पर करीब 50 सालों से कब्जा काश्त कायम चला आ रहा है। वादीगण/अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अपना कब्जा काश्त एवं आवास निवास 45 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार काबिज काश्त रहने बाबत सशपथ साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया जिनको नहीं मानने का कोई कारण नहीं की एवं रेस्पोडेन्ट की साक्ष्य से भी वादीगण का कब्जा काश्त विवादित भूमि पर होना भलीभांति साबित था। अपीलान्ट/वादीगण विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिकुल कब्ज के आधार पर अपना हक अधिकार एवं काबिज लम्बे समय से अर्थात 45 वर्षो से भी अधिक समय से प्रतिकुल कब्जे के आधार पर अपना वाद विधिवत प्रस्तुत किया था एवं जिसके संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा कायम तनकियात को भी अपनी साक्ष्य से सिद्ध किया है इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर आयी हुई साक्ष्य का गहनता से अवलोकन नहीं करके बिना किसी उचित आधार के वादीगण का वाद खारिज करके एवं

मू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो किसी भी तरह से स्थिर रहने योग्य नहीं है। एवं वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य होने से डिक्री किया जावें। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद उद्घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 22 वाके ग्राम ढाकाली का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि खसरा नम्बर 22 कभी भी वादी अथवा वादी के पूर्वजों के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं रही है। विवादित भूमि पर वादी अथवा उनके पूर्वजों का निरन्तर कब्जा काश्त होना भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। प्रतिकुल कब्जे के आधार पर वादीगण खातेदारी की उद्घोषणा के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद उद्घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 22 वाके ग्राम ढाकाली का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि खसरा नम्बर 22 कभी भी वादी अथवा वादी के पूर्वजों के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं रही है। विवादित भूमि पर वादी अथवा उनके पूर्वजों का निरन्तर कब्जा काश्त होना भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है।

प्रतिकुल कब्जे के आधार पर वादीगण खातेदारी की उद्घोषणा के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार I)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर